

considerations, coupled with the raising of the exemption limit upto Rs. 1 crore, has encouraged medium and new entrepreneurs and is likely to accelerate industrial development and bridge production gaps. While the new licensing policy embodies measures to prevent the growth of monopolies and to ensure that Larger Industrial Houses are not able to obtain a disproportionate share of the industrial licences, a major instrument for checking the monopolistic trends is the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, which came into force from 1st June, 1970.

निर्वाचन विधियों का संशोधन

369. श्री लाल झाडवाणी :

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी :

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

श्री निरंजन वर्मा :

श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

श्री ना० कृ० शेजवलकर :

क्या विधि और न्याय मंत्री 30 नवम्बर, 1970 को राज्य सभा में अतारंकित प्रश्न संख्या 970 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन विधि में संशोधन करने के प्रश्न को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समिति द्वारा अपने कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'ना' में हो तो इसके कब तक संयुक्त समिति को सौंप दिए जाने की संभावना है ?

†[AMENDMENT OF ELECTION LAWS

369. SHRI LAL K. ADVANI:

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI

SHRI J. P. YADAV:

SHRI NIRANJAN VARMA:

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:

SHRI N. K. SHEJWALKAR:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE/
विधि और न्याय मंत्री be pleased to refer

to the reply to unstarred question No. 970, given in the Rajya Sabha on the 30th November 1970 and state:

(a) whether the question of amending the Election Law has since been referred to a Joint Committee of the Houses;

(b) if so, the time by when it is likely to complete its work; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, the time by when it is likely to be referred to the Joint Committee?]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग) निर्वाचन विधि को संशोधित करने का प्रश्न संसद के दोनों सदनों की, तत्प्रयोजनार्थ गठित एक संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया गया था किन्तु 27 दिसम्बर, 1970 को चतुर्थ लोक-सभा के विघटन से परिणामस्वरूप उस समिति ने काम करना बन्द कर दिया।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE/
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री
(SHRI NITI RAJ SINGH CHAUDHURY):
(a) to (c) The question of amending the Election Law was referred to a Joint Committee of both Houses of Parliament constituted for that purpose but that Committee ceased to function consequent upon the dissolution of the Fourth Lok Sabha on the 27th December, 1970.]

मत पत्रों की जांच सम्बन्धी कार्य

370. श्री लाल झाडवाणी :

श्री के० एल० एन० प्रसाद :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि मत पत्रों की जांच के बारे में निर्णय करने के आयोग के अधिकारों को उससे वापस ले लिया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्वाचन आयोग के इस सुझाव का आयोग के आदेशों के विरुद्ध